प्राचार्य का कार्यालय

राजकीय पोलिटेक्निक कैमूर

आदेश सं० :–   /कैमूर,   दिनांक :–

कार्यालय आदेश

संस्थानान्तर्गत दिनांक :– 04.11.2023, दिन :– शनिवार को छात्र–छात्राओं के द्वारा धरना–प्रदर्शन के दौरान संस्थान के कई कमरों के दरवाजे, खिड़की व अन्य सामग्रियों को भारी क्षति पहुँचाया गया है। ज्ञातव्य हो कि किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से मर्यादा में रहते हुए धरना–प्रदर्शन करने व अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है परंतु उक्त तिथि को कुछ छात्र–छात्राओं के द्वारा संस्थान के व्याख्याताओं को अमर्यादित ढंग से गाली–गलौज किया गया तथा शैक्षणिक कार्य बाधित करते हुए संस्थान की सम्पति को भारी क्षति पहूँचाया गया है। सरकारी सम्पति को क्षति पहूँचाना घोर निंदनीय व दण्डनीय अपराध है।

अतएव संस्थानान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021, 2022 एवं 2023 में नामांकित सभी छात्र–छात्राओं को निदेशित किया जाता है कि दिनांक :– 04.11.2023 को प्रदर्शन के दौरान संस्थान की सम्पति को क्षति पहूँचाने वाले छात्र–छात्राओं का नाम दिनांक :– 10.11.2023 तक अद्योस्ताक्षरी के कार्यालय में श्री विनय कुमार (लिपिक) को अथवा संस्थानीय ई–मेल gpkaimur2016@gmail.com पर उजागर करना सूनिश्चित करें ताकि वैसे चिन्हित छात्र–छात्राओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। यदि दिनाँक :– 10.11.2023 तक उक्त के आलोक में क्षति पहूँचाने वाले दोषी छात्र–छात्राओं का नाम आपलोगों के द्वारा उजागर नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि क्षति पहूँचाने में सभी छात्र–छात्राओं का सहमति प्राप्त था, तदालोक में उपर्युक्त सत्र में नामांकित सभी छात्र–छात्राओं पर क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित दण्डशुल्क लगा दिया जाएगा।

नोट :– दोषी का नाम उजागर करने वाले छात्र–छात्राओं का नाम गोपनीय रखते हुए उक्त घटनाक्रम से दोषमुक्त रखा जाएगा।

ह०/–
प्राचार्य
राजकीय पोलिटेक्निक,
कैमूर

ज्ञापांक :– 468   /कैमूर,   दिनांक :– 07/11/2023

प्रतिलिपि :–

1. संस्थान के सूचना पट्ट पर सभी छात्र–छात्राओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रभारी विभागाध्यक्ष, व्याख्याताओं एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. स्थापना शाखा, राजकीय पोलिटेक्निक कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/11/2023
प्राचार्य
राजकीय पोलिटेक्निक,
कैमूर

राजकीय पोलिटेक्निक कैमूर (भभुआ)